न्यूज़ टुडे

केंद्र सरकार ने एल्यूमीनियम और कॉपर विज़न डाक्यूमेंट्स जारी किए

केंद्र सरकार ने हैदराबाद में आयोजित "सतत एवं उत्तरदायी खनन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" में एल्यूमीनियम और कॉपर विज़न डाक्यूमेंट्स जारी किए। यह सम्मेलन वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति ने आयोजित किया था।

एल्यूमीनियम और कॉपर विज़न डाक्यूमेंट्स के बारे में

- ये डाक्यूमेंट्स बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक रणनीति प्रदान करेंगे। साथ ही, कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- **कॉपर (तांबा) विज़न डॉक्यूमेंट:** वर्ष 2047 तक देश में तांबे की मांग में छह गुना वृद्धि का अनुमान है। साथ ही, 2030 तक 5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) अतिरिक्त कॉपर स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग क्षमता जोड़ने की योजना है।
- **एल्यूमीनियम विज़न डॉक्यूमेंट:** इसमें वर्ष 2047 तक एल्युमिनियम उत्पादन को छह गुना बढ़ाने का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, बॉक्साइट उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 150 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है।

तांबा और एल्यूमीनियम का रणनीतिक महत्त्व

- भारत में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने, अवसंरचना विकास, और हरित प्रौद्योगिकियों (इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा) के लिए तांबा अत्यंत आवश्यक है।
- एल्यूमीनियम स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और आधुनिक अवसंरचना को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

तांबा और एल्यूमीनियम के उत्पादन क्षेत्र

एल्यूमीनियम/ बॉक्साइट

- **भारत:**
  - **भंडार:** भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक 41% भंडार ओडिशा में है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में हैं।
    - ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ओडिशा में भारत का 73% बॉक्साइट उत्पादन होता है।
- **विश्व:**
  - चीन एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहां विश्व का 58% एल्यूमीनियम उत्पादन होता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत का स्थान है।

तांबा

- **भारत:**
  - **भंडार:** भारत में तांबे का सबसे अधिक 52.25% भंडार राजस्थान में है। इसके बाद मध्य प्रदेश और झारखंड का स्थान है।
  - **उत्पादन:** वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य (देश का 57%) था। इसके बाद राजस्थान (43%) का स्थान था।
- **विश्व:**
  - विश्व में चिली के पास तांबे का सबसे बड़ा भंडार (19%) है। इसके बाद पेरू और ऑस्ट्रेलिया (10%) का स्थान है।

PNGRB ने 'प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ विनियम, 2025' में दूसरे संशोधन को मंजूरी दी

इन सुधारों का लक्ष्य 'वन नेशन, वन ग्रिड, वन टैरिफ' के विज़न के तहत भारत में अधिक पारदर्शी, उपभोक्ता-उन्मुख और निवेश-अनुकूल प्राकृतिक गैस अवसंरचना का विकास करना है।

मुख्य सुधार:

- **टैरिफ ज़ोन्स का सरलीकरण:** इसमें एकीकृत टैरिफ ज़ोन्स की संख्या को 3 से घटाकर 2 करने की सिफारिश की गई है, ताकि परिवहन प्रणाली को सरल बनाया जा सके।
- **CNG और PNG (घरेलू) को बढ़ावा देना:** जोन 1 के एकीकृत जोनल टैरिफ का लाभ देश भर में संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) और पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) घरेलू खंडों तक बढ़ा दिया गया है।
- **दक्ष ईंधन खरीद अधिदेश:** यह पाइपलाइन ऑपरेटर्स को वार्षिक सिस्टम-उपयोग गैस का ≥75% दीर्घकालिक अनुबंधों (≥3 वर्ष) के माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य खरीद संबंधी जोखिमों को कम करना और लेन-देन की लागत को घटाना है।
- **पाइपलाइन विकास रिज़र्व- एक सतत इन्फ्रा मॉडल:** यह पाइपलाइन कंपनियों से 75% उपयोग बेंचमार्क से अधिक की कमाई का उपयोग करके एक पाइपलाइन विकास रिज़र्व गठित करता है।
  - इससे प्राप्त शुद्ध-कर आय का 50% अवसंरचना के विकास में पुनर्निवेश किया जाएगा, जबकि शेष 50% टैरिफ समायोजन के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। इससे विकास के लिए प्रदर्शन-से संबद्ध, आत्मनिर्भर मॉडल तैयार होगा।

PNGRB (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड) की भूमिका

- **उत्पत्ति:** यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- **कार्य:**
  - कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों एवं प्राकृतिक गैस के शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण, विपणन, आपूर्ति व विक्रय का विनियमन करना।
  - यह अधिसूचित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करने के लिए संस्थाओं को पंजीकृत करता है।
  - निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करना।
  - पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंध गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का एक डेटा बैंक बनाए रखना।
- PNGRB के निर्णयों के खिलाफ विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित अपीलीय अधिकरणों के समक्ष अपील की जाती है।

भारतीय प्रधान मंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रवासी समुदाय की छठी पीढ़ी को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड देने की घोषणा की

भारतीय प्रधान मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भारत **गिरमिटिया समुदाय का एक डेटाबेस तैयार** करेगा।

- OCI कार्ड धारकों को भारत आने के लिए **वीजा की ज़रूरत नहीं** होती। वे भारत में **काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और संपत्ति (कुछ विशेष कृषि और बागान की जमीन को छोड़कर) भी खरीद** सकते हैं।
- **त्रिनिदाद और टोबैगो की 40 फीसदी से ज्यादा आबादी** भारतीय मूल की है।
- गिरमिटिया वे **भारतीय मजदूर** थे, जिन्हें 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में **ब्रिटिश उपनिवेशों में बागान आदि में काम करने के लिए अनुबंध** पर भेजा गया था।

भारतीय प्रवासी समुदाय मुख्य रूप से दो भागों में बंटा होता है: **अनिवासी भारतीय (NRI) और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI)**। इनके बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है-

विशेषताएं	NRI	OCI
अर्थ	ऐसा भारतीय नागरिक जो **किसी काम, व्यापार, पढ़ाई या किसी अन्य कारण से भारत के बाहर** रहता है।	ऐसे विदेशी नागरिक **जिनका मूल स्थान या पूर्वज भारत** से हैं।
रिहायशी मानदंड	अगर कोई व्यक्ति **एक वित्तीय वर्ष में भारत में 182 दिन से कम** रहता है।	कोई विशेष समय सीमा **नहीं** होती।
वोट देने का अधिकार	ये भारतीय चुनावों में तभी वोट दे सकते हैं, **जब वे मतदान के समय अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद** हों।	**वोट देने का अधिकार नहीं** होता।
कानूनी प्रावधान	मुख्य रूप से **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और भारतीय आयकर अधिनियम** द्वारा शासित होते हैं।	OCI योजना **अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955** में संशोधन करके शुरू की गई थी।

स्पेन के सेविला में "विकास हेतु वित्त-पोषण पर आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICoFfD)" के परिणाम जारी किए गए

- इस सम्मेलन में "**सेविला प्रतिबद्धता**" नामक एक नया वैश्विक फ्रेमवर्क अपनाया गया है। इसका उद्देश्य **विकासशील देशों द्वारा SDGs (सतत विकास लक्ष्यों) को प्राप्त करने की दिशा में हर साल सामना की जाने वाली 4 ट्रिलियन डॉलर की कमी को दूर** करना है।
  - **सेविला प्रतिबद्धता को सर्वसम्मति** से अपनाया गया है। यह **2015 के बाद पहली बार है** जब अलग-अलग देशों ने मिलकर विकास के लिए वित्तीय सहयोग का कोई साझा फ्रेमवर्क स्वीकार किया है।
- यह पहले से मौजूद **मॉन्टेरी सर्वसम्मति (2002), दोहा घोषणा-पत्र (2008), अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा (2015) और पैक्ट फॉर फ्यूचर फ्रेमवर्क** पर आधारित है।

प्रमुख पहलें

ऋण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए:

पहलें	नेतृत्वकर्ता	उद्देश्य
डेब्ट स्वैप फॉर डेवलपमेंट हब	स्पेन और विश्व बैंक	ऋण स्वैप को बढ़ावा देना और डेब्ट सर्विस (ऋण चुकाने से संबंधित भुगतान जैसे ब्याज या किस्त) संबंधी बोझ को कम करना।
विकास के लिए डेब्ट स्वैप कार्यक्रम	इटली	अफ्रीकी देशों के ऋण दायित्वों को निवेश में परिवर्तित करना।
डेब्ट "पॉज क्लॉज" एलायंस	बहुपक्षीय विकास बैंक	संकट के दौरान डेब्ट सर्विस संबंधी भुगतान को निलंबित करने के लिए "पॉज क्लॉज"
ऋण पर सेविला फोरम	**स्पेन**	ऋण प्रबंधन और पुनर्गठन में समन्वय सुनिश्चित करना।

विकास संबंधी प्रभाव के साथ निवेश को बढ़ावा देना:

वैश्विक एकजुटता गठबंधन कर (Coalition for Global Solidarity Levies)	फ्रांस, केन्या और बारबाडोस	जलवायु कार्रवाई के लिए धन जुटाने हेतु प्रीमियम श्रेणी की हवाई उड़ानों और निजी जेट विमानों पर कर लगाना
स्केल्ड (SCALED)	जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और दक्षिण अफ्रीका	विकासात्मक प्रभाव के लिए मिश्रित वित्त मंच
FX EDGE	इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, और डेल्टा	स्थानीय मुद्रा में ऋण देने को बढ़ाने के लिए टूलबॉक्स
हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों पर प्रभावी कराधान की पहल	ब्राज़ील और स्पेन	यह सुनिश्चित करना कि हाई नेट वर्थ वाले व्यक्ति न्यायसंगत कर का भुगतान करें

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर व्यवस्था सुधार हेतु समर्थन करना:

आपदाओं के लिए "पहले से जुटाए गए वित्त-पोषण" को बढ़ाना	यूनाइटेड किंगडम और ब्रिजटाउन इनिशिएटिव	2035 तक कुल आपदा वित्त-पोषण में **पहले से जुटाए गए वित्त-पोषण को 2% से बढ़ाकर 20%** करना।

भारत के प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत अफ्रीका की विकास यात्रा में प्रतिबद्ध साझेदार बना रहेगा

भारत के प्रधान मंत्री ने **घाना की राजकीय यात्रा** के दौरान कहा कि **भारत अफ्रीका के विकास में एक सच्चा साझेदार** है। भारत अफ्रीका की प्राथमिकताओं का समर्थन करता है और **समान साझेदार** के रूप में उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है।

भारत-अफ्रीका संबंधों में उभरते नए आयाम

- **ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति को बढ़ावा:** 2023 में भारत की G-20 अध्यक्षता के दौरान **अफ्रीकी संघ को G-20 के स्थायी सदस्य** के रूप में शामिल किया गया था।
- **संयुक्त साझेदारियां:** उदाहरण के लिए- **सतत विकास और संवृद्धि हेतु भारत-जापान का एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)।**
- **विकासात्मक रूपरेखा:** जैसे- भारत **अफ्रीका के विकास फ्रेमवर्क एजेंडा 2063 के विज़न** का समर्थन करता है।
  - **आर्थिक: भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।** जून 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच **द्विपक्षीय व्यापार लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और कुल निवेश 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।**
- **पुनर्गठित बहुपक्षवाद:** भारत **एजुलविनी कन्सेंस** के अनुरूप **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** सहित वैश्विक संस्थाओं में अफ्रीकी देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत करता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन:** अफ्रीकी देश **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)** में भागीदारी हैं।
- **क्षमता-निर्माण:** भारत क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से **अफ्रीकी संघ के विज़न 'एड्यूकेट एन अफ्रीका फिट फॉर दी 21st सेंचुरी"** का समर्थन करता है।
- भारत ने **33 अफ्रीकी देशों को e-Visa सुविधा** प्रदान की है, जिससे दोनों पक्षों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ा है।

चुनौतियां:

- **चीन का प्रभुत्व:** चीन **ऋण जाल कूटनीति, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओं और अवसंरचना की कूटनीति** आदि के माध्यम से अफ्रीका में अपने कदम मजबूती से जमा रहा है।
- **परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी:** भारत द्वारा समय पर परियोजनाएं पूरी न करने से भारत पर अफ्रीकी देशों का विश्वास कमजोर हो रहा है।
- **परमाणु मुद्दों पर असहमति: जैसे दक्षिण अफ्रीका वैश्विक परमाणु अप्रसार संधियों का समर्थन करता है, जबकि भारत इनके मौजूदा स्वरूप को भेदभावपूर्ण मानता है और इसलिए इनसे नहीं जुड़ा है।**

निष्कर्ष: अफ्रीका के साथ भारत की सहभागिता विज़न सागर/ SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और संवृद्धि) पर आधारित है। इसे हाल ही में **ग्लोबल साउथ के लिए विज़न महासागर/ MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा और संवृद्धि की पारस्परिक एवं समग्र उन्नति)** में अपग्रेड कर दिया गया है।

अन्य सुर्खियां

सुपरनोवा

शोधकर्ताओं ने **एक दुर्लभ सुपरनोवा के फोटोग्राफिक साक्ष्य** प्राप्त किए हैं। इसमें एक अलग प्रकार का तारा **स्टेलर एम्बर** (जिसे श्वेत वामन कहा जाता है) और डबल डेटोनेशन शामिल है।

- यह फोटोग्राफिक इमेज **यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के चिली स्थित वेरी लार्ज टेलीस्कोप** द्वारा ली गयी है।

सुपरनोवा के बारे में

- सुपरनोवा किसी **तारे का विस्फोट (explosion)** होता है। यह बहुत ही प्रचंड और विध्वंसकारी परिघटना होती है।
- यह आमतौर पर **हमारे सूर्य के द्रव्यमान से आठ गुना अधिक द्रव्यमान तारे में घटित होता है,** जिसका परमाणु ईंधन समाप्त हो जाता है और उसका केंद्र सम्पीड़ित होकर केंद्र की ओर ढह जाता है।

चिनाब नदी

वन सलाहकार समिति ने चिनाब नदी पर सावलकोट जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए **वन भूमि के उपयोग को 'सैद्धांतिक' मंजूरी** दे दी है।

- सावलकोट जलविद्युत परियोजना उन छह रणनीतिक जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है, जिनका उद्देश्य **भारत द्वारा सिंधु नदी के जल का अधिकतम उपयोग** करना है।

चिनाब नदी के बारे में

- **इसका उद्गम स्रोत बारा लाचा के पास है ।**
  - **चंद्रा और भागा नामक दो जल धाराएं** दर्रे के पार्श्व ढलान से निकलती हैं और मिलकर आगे चिनाब नदी के रूप में बहती हैं।
- चिनाब घाटी **महान हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमाला के मध्य मौजूद एक संरचनात्मक गर्त है।**
- इसकी **सहायक नदियों में मियार नाला, सोहल, थिरोट, भूत नाला, मारुसुदर और लिद्रारी** शामिल हैं।
- वैदिक काल में इसे **चंद्रभागा, अस्किनी या इस्कमती** के नाम से भी जाना जाता था।

परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (Variable Rate Reverse Repo: VRRR)

RBI ने VRRR के ज़रिए बैंकिंग सिस्टम से **₹1,00,010 करोड़ हटाए।**

VRRR के बारे में

- यह RBI द्वारा अल्प अवधि के लिए **बैंकों से अतिरिक्त तरलता को घटाने** के लिए उपयोग किया जाने वाला साधन है।
- इसमें RBI बैंकों से **कुछ समय के लिए पैसा लेता है** और **इसके बदले बैंकों को ब्याज देता है।**
  - इसमें परिवर्तनीय दर का अर्थ है कि **ब्याज दर निश्चित नहीं होती है** तथा इसका निर्धारण बाजार के आधार पर किया जाता है।
  - रिवर्स रेपो दर का निर्धारण **RBI द्वारा किया जाता है।**

रिक्लेम फ्रेमवर्क (Reclaim Framework)

कोयला मंत्रालय ने **रिक्लेम फ्रेमवर्क (RECLAIM Framework)** लॉन्च किया है। यह खदान बंद करने और उसके पुनः उपयोग के लिए सामुदायिक सहभागिता एवं विकास पर आधारित एक फ्रेमवर्क है।

रिक्लेम फ्रेमवर्क

- इसे कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोयला नियंत्रक संगठन और हार्टफुलनेस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है।
- **उद्देश्य:** खदान बंद होने और बंद होने के बाद के चरणों के दौरान समावेशी सामुदायिक सहभागिता और विकास के लिए एक **सुनियोजित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना।**
- **फ्रेमफ़ोर्क (इंफ़ोग्राफ़िक देखें)**

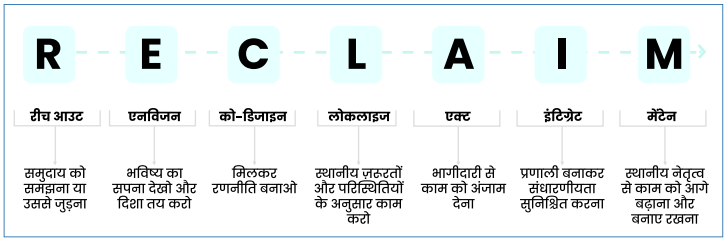

एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत उपलब्ध कर संबंधी सभी लाभ** UPS पर भी लागू होंगे।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के बारे में

- इसे NPS **के तहत एक विकल्प** के रूप में पेश किया गया है।
- **यह एक 'निधि-आधारित' भुगतान प्रणाली है।** इसमें पेंशन अंशदानों {कर्मचारी और नियोक्ता (केन्द्र सरकार) दोनों की ओर से} के नियमित और समय पर जमा की गयी राशि और निवेश पर निर्भर करती है।
- **मुख्य विशेषताएं**
  - 25 वर्ष की न्यूनतम अनिवार्य सेवा काल के लिए सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त **औसत मूल वेतन का 50%** ।
  - न्यूनतम 10 वर्ष के सेवाकाल के बाद सेवानिवृत्ति पर कम-से-कम **10,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन का आश्वासन।**

उम्मीद पोर्टल (UMEED Portal)

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने '**उम्मीद**' (UMEED) **सेंट्रल पोर्टल** लॉन्च किया।

- **'यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (UMEED) नियम, 2025'** के तहत **राष्ट्रीय उम्मीद पोर्टल** को लागू किया गया है।

उम्मीद पोर्टल के बारे में:

- **विकासकर्ता:** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- **उद्देश्य:** यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग **वक्फ संपत्तियों की रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी** के लिए किया जाएगा।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - सभी वक्फ संपत्तियों की **डिजिटल सूची बनाना** और **जियो-टैगिंग करना।**
  - **ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली** स्थापित करना, ताकि शिकायतों का तुरंत समाधान हो सके।
  - **संपत्ति की लीज और उपयोग की पारदर्शी निगरानी।**
  - GIS **मैपिंग** और अन्य **ई-गवर्नेंस टूल्स** से एकीकरण।
  - **जनता की** सत्यापित रिकॉर्ड और रिपोर्ट तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना।

विशेष गहन पुनरीक्षण या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)

भारत निर्वाचन आयोग बिहार में **मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण** (Special Intensive Revision - SIR) शुरू करेगा।

- SIR को संविधान के **अनुच्छेद 324** और **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21** के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है।

SIR के बारे में:

- यह एक **घर-घर जाकर जांच** (House-to-House Verification) की प्रक्रिया है, ताकि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।
- यह कार्य **बूथ लेवल ऑफिसर्स** (BLOs) द्वारा किया जाता है।
- **उद्देश्य:** सभी **योग्य नागरिकों को** मतदाता सूची में शामिल करना।
- **महत्त्व:** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए **मतदाता सूची की शुद्धता को बनाए रखना।**

अश्व रोग (इक्वाइन डिजीज)

भारत ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहला **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 'इक्वाइन डिजीज-फ्री कम्पार्टमेंट'** (EDFC) स्थापित किया है। इसे **विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन** (WOAH) द्वारा मान्यता भी प्रदान की गई है।

अश्व रोग (इक्वाइन डिजीज) के बारे में:

- इनमें कई तरह की बीमारियां शामिल हैं जो घोड़ों को प्रभावित कर सकती हैं जैसे कि इन्फ्लूएंजा, हर्पीस वायरस और वेस्ट नाइल वायरस आदि।
- **कारण:**
  - विभिन्न संक्रामक एजेंट, जैसे- वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी आदि।
  - इसके अलावा, एलर्जी, विषैले तत्व और आनुवंशिक कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं।
- **उदाहरण: इक्वाइन इंफेक्शियस एनीमिया, इक्वाइन इन्फ्लूएंजा, इक्वाइन पिरोप्लाज़मोसिस, ग्लैंडर्स, सुर्रा।**
- भारत 2014 से अब तक **अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस** से मुक्त रहा है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

अल्लूरी सीताराम राजू

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने श्री अल्लूरी सीताराम राजू को उनकी 128वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

प्रारंभिक जीवन:

- **जन्म:** 04 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम के पास मोगल्लू गांव में हुआ था।

योगदान:

- **असहयोग आंदोलन** के दौरान महात्मा गांधी से प्रभावित हुए।
  - उन्होंने आदिवासियों को स्थानीय पंचायतों से न्याय लेने और अंग्रेजों की अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया।
  - उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया।
- **रम्पा विद्रोह (1922-1924):** इसे **मन्यम विद्रोह** भी कहा जाता है (मन्यम का अर्थ है जंगल क्षेत्र)।
  - स्थानीय लोग उन्हें "**मन्यम वीरुडु**" (जंगलों का वीर) कहकर पुकारते थे।
  - अगस्त 1922 में, श्री अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था।